भारत सरकार

जल शक्ति मंत्रालय

जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 85

जिसका उत्तर 03 फरवरी, 2025 को दिया जाना है।

.....

जल संचय जन भागीदारी (जेएसजेबी) पहल

85. श्रीमती जेबी माथेर हीशमः

श्री नीरज डांगी:

क्या **जल शक्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार के पास जल संचय, जन भागीदारी (जेएसजेबी) पहल के तहत वर्षा जल संचयन की एक मिलियन संरचनाओं के निर्माण के लिए कोई ठोस रणनीति है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या इस पहल के तहत किन्हीं विशिष्ट क्षेत्रों या जल-संकटग्रस्त जिलों को प्राथमिकता दी गई है, यदि हां तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) भूजल पुनर्भरण और संरक्षण लक्ष्यों को प्राप्त करने में इन वर्षा जल संचयन संरचनाओं की प्रभावशीलता का आकलन करने के लिए कौन-सा निगरानी और मूल्यांकन तंत्र मौजूद हैं?

उत्तर

जल शक्ति राज्य मंत्री श्री राज भूषण चौधरी

(क): जल शक्ति अभियानः कैच द रेन अभियान के अंतर्गत जल संचय जन भागीदारी पहल शुरू की गई थी जिसका उद्देश्य देश भर में 31 मई 2025 तक, एक समेकित और भागीदारी दृष्टिकोण अपनाते हुए एक मिलियन कृत्रिम पुनर्भरण संरचनाएं विनिर्मित करना है। इस पहल को महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा), अटल नवीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन (अमृत), प्रति बूंद अधिक फसल, प्रधान मंत्री कृषि सिंचाई योजना, क्षतिपूर्ति वनीकरण निधि (कैम्पा), वित्त आयोग अनुदान, कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व योगदान, परोपकारी दान, व्यक्तिगत स्तर पर दिए गए दान आदि सहित कई वितीय स्रोतों का लाभ हासिल होता है। इस पहल में, एक समग्र सरकारी और एक समग्र समाज को शामिल किए जाने की कार्यनीति का अनुपालन करते हुए मिशन-मोड कार्यान्वयन रणनीति के अंतर्गत, केंद्रीय मंत्रालयों, राज्य सरकारों, ग्रामीण और शहरी स्थानीय निकायों, जिला प्रशासन, आवासीय कल्याण संघों (आर.डब्ल्यू.ए), उद्योगिक संघों, सिविल सोसाइटों, व्यक्तिगत घर मालिकों को शामिल किया जाता है। जल संचय जन भागीदारी

के डैशबोर्ड पर 4.5 लाख से अधिक कृत्रिम पुनर्भरण संरचनाएं पहले ही शामिल कर ली गई हैं। इस पहल में, सरकार भूजल द्वारा गिरते स्तर को रोकने, किफायती स्थानीय समाधानों को प्रस्तुत करने और सामुदायिक भागीदारी के माध्यम से अपनी कार्यनीतिगत प्रतिबद्धता पर जोर दिया गया है। केंद्रीय भूमि जल बोर्ड के सहयोग से इस पहल के कार्यान्वयन के लिए दिनांक 07.10.2024 को जिलाधिकारियों/जिला आयुक्तों और नगर निगमों को एक एडवाइजरी भी जारी की गई है। केंद्रीय भूमि जल बोर्ड द्वारा राष्ट्रीय जल मिशन, जल शक्ति मंत्रालय के सहयोग से जल संचय जन भागीदारी में शामिल सभी हितधारकों को इस पहल के कार्यान्वयन के लिए मार्गदर्शन और व्यावहारिक निर्देश प्रदान करने के लिए अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्नों (एफएक्यू) के रूप में "भूजल संवर्धन के कृत्रिम पुनर्भरण के सरल औरव्यावहारिक तरीके" नामक एक दस्तावेज़ तैयार किया गया है। केंद्रीय भूमि जल बोर्ड / केंद्रीय जल आयोग के नोडल अधिकारियों को हितधारकों की सुविधा के लिए नियुक्त किया गया है। जल संचय जन भागीदारी पहल के विस्तार को व्यापकता प्रदान करने के लिए सूचना, शिक्षा और संचार (आईईसी) से जुड़े कार्यकलाप किए गए हैं। इसलिए, सरकार ने जल संचय जन भागीदारी पहल के मजबूत कार्यान्वयन के प्रति अपनी प्रतिबद्धता के लिए एक ठोस कार्यनीति तैयार की है जिसका उद्देश्य जल संरक्षण और भूजल पुनर्भरण करना है जिससे कि वर्षा की प्रत्येक बूंद का प्रभावी उपयोग किया जा सके और भविष्य को जल सुरक्षित बनाया जा सके।

(ख): इस पहल के अंतर्गत किसी विशेष क्षेत्र या जल की कमी वाले जिलों को प्राथमिकता नहीं दी गई है। इस पहल में देश भर के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित किया जाता है जिसमें विभिन्न क्षेत्रों की विशिष्ट जल चुनौतियों के अनुकूल किफायती स्थानीय समाधानों को प्रोत्साहित करते हुए जल की दीर्घकालिक स्थिरता सुनिश्चित की जा सके।

(ग): जल पुनर्भरण संरचनाओं की प्रभावकारिता सुनिश्चित करने के लिए एक व्यापक निगरानी और मूल्यांकन फ्रेमवर्क कार्यान्वित किया गया है। जल संचय जन भागीदारी डैशबोर्ड एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है जिसमें हितधारकों को प्रत्येक निर्मित पुनर्भरण संरचना की फोटो, जियो-टैग और अन्य विवरणों को प्रदान किया जाता है। निगरानी को मजबूती प्रदान करने के लिए, केंद्रीय भूमि जल बोर्ड और केंद्रीय जल आयोग के नोडल अधिकारी, जिला नोडल अधिकारियों के सहयोग से कार्यान्वयन अपडेट और आंकड़ों का सत्यापन सुनिश्चित करते हैं। इन नोडल अधिकारियों को आंकड़ों की प्रामाणिकता सुनिश्चित करने के लिए 1% पुनर्भरण संरचनाओं का परीक्षण कार्य और संबंधित जिलों/निगमों/नोडल अधिकारियों की क्षमता निर्माण/प्रशिक्षण का कार्य सौंपा गया है। केंद्रीय जल आयोग/केंद्रीय भूमि जल बोर्ड और जिलों/निगमों के क्षेत्रीय अधिकारियों के कार्यों में मदद करने और निगरानी करने के लिए राष्ट्रीय जल मिशन में एक समर्पित कक्ष स्थापित किया गया है। कृत्रिम पुनर्भरण संरचनाओं के विनिर्माण/नवीनीकरण के लिए केंद्रीय जल आयोग और केंद्रीय भूमि जल बोर्ड को तकनीकी सहायता प्रदान करने का कार्य सौंपा गया है।

इसके अतिरिक्त, भारत के सक्रिय भूजल संसाधनों का वार्षिक मूल्यांकन राज्य सरकारों और केंद्रीय भूमि जल बोर्ड के सहयोग से किया जाता है। ये आवधिक मूल्यांकन भूजल पुनर्भरण, उपयोग के रुझानों और समग्र उपलब्धता संबंधी महत्वपूर्ण जानकारी उपलब्ध कराते हैं जिससे जल संसाधन

प्रबंधन में सूविज्ञ निर्णय लेने में मदद मिलती है। जिला और राज्य स्तर की समीक्षा प्रणाली से क्षमता निर्माण पहलों, निरंतर निगरानी और दीर्घकालिक स्थिरता सुनिश्चित होती है।

*****